कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/दिनांक–29.09.2019 के तहत् सबीना खान व्याख्याता उर्दू राउमावि महात्मा गांधी गुलजार बाग टोंक का स्थानांतरण राबाउमावि रेलमगरा राजसमंद किया गया। सबीना खान ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3293/2019 सबीना खान बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3293/19 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.11.19 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानातंरण आदेश दिनांक 29.11.19 का प्रभाव एवं कियान्वयन अपीलार्थी सबीना खान के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया । जिसके फलस्वरूप सबीना खान, व्याख्याता उर्दू महात्मा गाधी राउमावि गुलजार बाग टोंक के पद पर पदस्थापित एंव उनके स्थान पर स्थानान्तरित, हारून रशीद का अन्तरिम समायोजन दोहरा पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि आसींद भीलवाड़ा, व्याख्याता, उर्दू के रिक्त पद पर किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन कर विभागीय आदेश दिनांक 29/11/19 को जारी किये गये ।

उक्त विभागीय आदेशों के विरूद्व कार्मिक हारून रशीद द्वारा अपील संख्या 4705/2019 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर की गई माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.20 द्वारा अपीलार्थी हारून रशीद को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी हारून रशीद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में बीमार पुत्री एवं दूरस्थ पदस्थापन के आधार पर अपना पदस्थापन संशोधन राउमावि टोडारायसिंह, टोंक में करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई ।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी हारून रशीद, व्याख्याता, उर्दू द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया । अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि टोडारायसिंह, टोंक व्याख्याता उर्दू के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता हैं । सभी पक्षकार सूचित हो ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/हारून रशीद/19–20/16 दिनांकः–19/02/2020

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
02 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
04 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
05 जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर ।
06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08 संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान